प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-154/2025 दिनांक 03.06.2025)
दिनांक-03.06.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

संगठित साइबर गैंग का पर्दाफाश, अपराध से अर्जित अनुमानित कीमत लगभग 05 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति,वाहन,कैश इत्यादि की बरामदगी, लगभग 20 लाख रुपये से अधिक आभूषण(सोने, चादी एवं हीरे), करोड़ों के जमीन के कागजात, Bitcoin/Crypto Currency, दुकान के कागज , 02 अदद चार पहिया वाहन (बेलेनो, स्कार्पियों), 02 अदद मोटर साइकिल, 13 अदद मोबाइल फोन, भारी मात्रा में सिम (नेपाली/भारतीय), कूटरचित दस्तावेज, के साथ 04 साइबर अपराधी गिरफ्तार-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर व पुलिस उपमहानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेश चन्द्र भट्ट के नेतृत्व में साइबर अपराधों के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2025 को थाना खड्डा पुलिस, स्वाट व साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना खड्डा क्षेत्र से 04 संगठित साइबर गिरोह के अपराधियों 1-रंजीत उर्फ अविनाश यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर, 2-विवेक यादव पुत्र कमला यादव ग्राम तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर, 3-अमित पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मथौली बाजार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर, 4-विनोद यादव पुत्र कमला यादव निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 05 करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति,वाहन,कैश इत्यादि की बरामदगी, लगभग 20 लाख रुपये से अधिक आभूषण(सोने, चादी एवं हीरे), करोड़ों के जमीन के कागजात, Bitcoin/Crypto Currency , दुकान के कागज , 02 अदद चार पहिया वाहन (बेलेनो, स्कार्पियों), 02 अदद मोटर साइकिल, 13 अदद मोबाइल फोन, भारी मात्रा में सिम (नेपाली/भारतीय), कूचरचित दस्तावेज की बरामदगी की गयी है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 0238/25 धारा 318(4),338,336(3),340(2),111(2) बीएनएस व 66 (सी व डी) आईटी एक्ट थाना कप्तानगंज व बढोत्तरी धारा

Edit with WPS Office

338,336(3),340(2),111(2) बीएनएस व 66 (सी) आईटी एक्ट, मु0अ0सं0 172/25 धारा 318(4), बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना खड्डा तथा बढोत्तरी धारा 467/468/471 भा0द0वि0 व 66 (सी) आईटी एक्ट, मु0अ0सं0 173/25 धारा 420 भा0द0वि0 व 66 डी आईटी एक्ट थाना खड्डा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण में 107 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों द्वारा साइबर अपराध से अर्जित धन से बनाये गये सम्पत्ति को कुर्क कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पूछ-ताछ का विवरण-

1-अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है। इस संगठित गिरोह द्वारा अपने सदस्यों के साथ मिलकर जनता के लोगों को लालच देकर उनके खाते आनलाईन व मैनुअल तरीके से खुलवाकर विभिन्न राज्यों एवं देशों में बैठे शातिर साईबर ठगों को उनके खातों को बेचकर काफी धन अर्जित करते है। ये धन बैंक अकाउण्ट एवं Bitcoin/Crypto Currency में प्राप्त करते है।

2- फर्जी सिमों की सहायता से उनके आनलाइन अकाउण्टों को अपने कमाण्ड में ले लेते है तथा साइबर फ्राड कर उससे अर्जित धनों का आनलाईन निर्गतीकरण कर अन्य खातों में रूपयो का स्थानान्तरण कर देते है

3-गैंग में अपने प्रतिशत के अनुसार अर्जित अवैध धन का बंटवारा कर देते है तथा जनता के लोगो को छल व कपट से उनके अंगूठे का कूटरचित फिंगर/डोंगल का क्लोन उनकी बिना जानकारी के इस्तेमाल कर उक्त खातो में अवैध धन का ट्रान्जेक्शन करते है।

4-इसके अतिरिक्त टेलीग्राम ऐप्प में आईडी लागिन कर ऐप्प के हजारों ग्रुप में जुडकर कार्पोरेट एकाऊंट की रिकवेस्ट चाईनीज गेमिंग कम्पनियो में जुआ खेलाने व मोटा मुनाफा कमाने का लालच देते हुए खाताधारकों के खातों को उन कम्पनियों को बेच देता है।

5-भारत वर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों से जुडे जनता के लोग टेलीग्राम ऐप्प के माध्यम से उक्त संगठित गिरोह के छल व कपट में फंसकर चाईनीज गेम कम्पनियों में मौजूद भिन्न भिन्न जुआ गेम कैटेगरी में मोटा पैसा लगा देते है।

6-औसतन बेचे हुए एक खाते का 4 दिन में करीब 2 करोड रूपये का लाभ होता है जिसका 6 प्रतिशत रूपया अमूमन 12 लाख रूपया का वितरण इनके द्वारा फर्जीवाड़े तरीके से किया जाता है।

7- इस तरीके से इस गैंग ने विगत कुछ वर्षों में करोड़ों रुपये साइबर

Edit with WPS Office

अपराध के माध्यम से प्राप्त किये है और इस अवैध धन से काफी सम्पत्ति अर्जित किया है।

पंजीकृत अभियोग-
1-मु0अ0सं0 0238/25 धारा 318(4),338,336(3),340(2),111(2) बीएनएस व 66 (सी व डी) आईटी एक्ट थाना कप्तानगंज व बढोत्तरी धारा 338,336(3),340(2),111(2) बीएनएस व 66 (सी) आईटी एक्ट
2-मु0अ0सं0 172/25 धारा 318(4), बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना खड्डा तथा बढोत्तरी धारा 467/468/471 भा0द0वि0 व 66 (सी) आईटी एक्ट
3-मु0अ0सं0 173/25 धारा 420 भा0द0वि0 व 66 डी आईटी एक्ट थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1-रंजीत उर्फ अविनाश यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
2-विवेक यादव पुत्र कमला यादव ग्राम तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
3-अमित पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी मथौली बाजार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
4-विनोद यादव पुत्र कमला यादव निवासी तुर्कहा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-(कुल अनुमानित कीमत 05 करोड़ रुपये)
1- लगभग 20 लाख रुपये से अधिक आभूषण (सोने, चादी एवं हीरे),
2-करोड़ों की जमीन,मकान एवं दुकान के कागज
3- Bitcoin/Crypto Currency
4-दो अदद चार पहिया स्कार्पियो एवं बेलेनो वाहन
5-दो अदद दो पहिया बुलेट एवं पल्सर मोटरसाइकिल
6- 3 अदद कूटरचित फिंगर/डोंगल क्लोन (संबंधित पीडित खाताधारकों के), फ्रिंगर प्रिन्ट स्कैनर
7-उक्त अपराध में प्रयुक्त फर्जी चार अदद नेपाली सिम व 27 अदद भारतीय सिम (एयरटेल कम्पनी के)
8-4 अदद बैंक पासबुक (भिन्न-भिन्न)
9-साईबर अपराध में जैसे चाईनीज गेम कम्पनियों को बेचे गये आनलाईन टेलीग्राम एप्प द्वारा खाताधारकों के खातों से डेटायुक्त कुल 13 अदद मोबाईल फोन

Edit with WPS Office

10-उक्त अपराध में प्रयुक्त दो अदद लैपटाप (HP & ASUS)
11-उक्त अपराध से अर्जित नगद रूपया 1 लाख 40 हजार भारतीय मुद्रा के व नगद रूपया 10 हजार 385 नेपाली मुद्रा के
12-एक अदद पासपोर्ट व एक अदद चेकबुक hdfc बैंक

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम-
1-प्रभारी निरीक्षक श्री हर्षवर्धन सिंह थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
2-प्रभारी निरीक्षक स्वाट श्री आशुतोष सिंह जनपद कुशीनगर
3-प्रभारी निरीक्षक साईबर सेल श्री मनोज कुमार पन्त जनपद कुशीनगर
4-निरीक्षक श्री अमित शर्मा स्वाट टीम , जनपद कुशीनगर
5-अपराध निरीक्षक श्री भूपेन्द्र दुबे थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर मय टीम
6-उ0नि0 श्री आलोक यादव स्वाट टीम कुशीनगर
7-व0उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
8-उ0नि0 श्री देशराज सरोज थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
9-उ0नि0 श्री देवेन्द्रनाथ यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
10-हे0का0 सनातन सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
11-क0आ0 अमन कुमार गुप्ता थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
12-हे0का0 रणजीत यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
13-हे0का0राहुल सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
14-हे0 का0 विजय चौधरी साईबर सेल जनपद कुशीनगर
15-कां0 अखिलेश गुप्ता साईबर सेल जनपद कुशीनगर
16-का0 इन्द्रभान यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
17-का0 अमित यादव, थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
18-का0 शशिकेश गोस्वामी, थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
19-का0 शिवानन्द सिंह, , थाना खड्डा जनपद कुशीनगर ,
20-प्रशान्त मिश्रा साइबर सेल जनपद कुशीनगर

***नोट-* सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25,000/- रुपये नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।**

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2025 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 110/2025 धारा 115(2)/76/351(3)/352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित

Edit with WPS Office

अभियुक्त अली उर्फ समशेर पुत्र साकिर साकिन पचफेड़ा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 110/2025 धारा 115(2)/76/351(3)/352 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-
अली उर्फ समशेर पुत्र साकिर साकिन पचफेड़ा थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1-थानाध्यक्ष श्री दीपक कुमार सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2-उ0नि0 पंकज यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3-का0 नीबूलाल थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 41 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-58 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-45, व्यक्ति-138
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी–(कुल-46)

सोशल मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office